

**HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Dated:- 14-11-2018

No. 2/10/2018-RII .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in the Preamble, for the words "holding election of the members", the words "holding election of the Mayor and members" shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 2, in clause (h), for the words "the members", the words "the Mayor and members" shall be substituted.
4. In the said rules, for rule 23, the following rule shall be substituted, namely: -

"23. Disqualifications for Mayor and members.- (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a Mayor and member of the Corporation, if he incurs any of the disqualification as mentioned in section 8.

(2) No person shall be eligible for election as a Mayor and member of the Corporation who, in the case of a seat reserved for Scheduled Castes, Backward Classes or woman, is not a member of any of these categories."
5. In the said rules, in rule 24-,
 - (i) in sub-rule (1), for the words "ineligible for membership", the words "ineligible for Mayor or membership" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (4), for the words " for election in the same ward", the words "for election of Mayor and member in the same ward" shall be substituted; and
 - (iii) in the proviso of sub-rule (4), for the words "for election in the same ward", the words "for election of Mayor or member in the same ward" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 25,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) The nomination paper of a candidate shall not be deemed to have been duly delivered unless at the time of delivery of the same under rule 24, the candidate has either deposited or causes to be deposited a sum shown in the table below with the Deputy Commissioner in cash or enclose with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited in the treasury, or Government promissory notes of equal value at the market rate of the day: -

Table

Amount of deposit			
If the candidate is not a member of Scheduled Caste, Backward Class or a Woman		If the candidate is a member of Scheduled Caste, Backward Class or a woman	
Mayor	Member	Mayor	Member
₹ 10,000.00	₹ 3,000.00	₹ 5,000.00	₹ 1,500.00

Provided that where a candidate has filed more than one nomination paper for election of Mayor and member in the same ward, not more than one deposit shall be required by him under this sub-rule.”

(ii) in sub rule (4), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that, if a candidate has filed a nomination paper at an election of Mayor or member in more than one ward, not more than one of the deposits made by him or on his behalf shall be returned and the remainder shall be forfeited by the Government.”

7. In the said rules, in rule 32, in sub-rule (1), for the words “one candidate in any ward,” the words “one candidate for Mayor or member in any ward,” shall be substituted.

8. In the said rules, for rule 33, the following rule shall be substituted, namely.-

“33. **Poll to be taken if number of candidate is more than number of vacancies.-** If the number of contesting candidate for Mayor and for member in any ward is more than one, a poll shall be taken.”

9. In the said rules, in rule 34, for the words "member in the ward or wards in which he was a candidate", the words "Mayor or member in the ward or wards in which he was a candidate" shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 63, for the words "if no fresh poll is required to be held in that ward", the words "if no fresh poll is required to be held for Mayor and for member in that ward" shall be substituted.

11. In the said rules, for rule 71, the following rule shall be substituted, namely: -

"71. Oath of allegiance of the office of Mayor and members, and term of the office of Mayor, Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor etc.- (1) The Divisional

Commissioner shall, within a period of thirty days of the notification of the names of the Mayor and members elected to the Corporation, convene and preside over the first meeting of the newly constituted Corporation at forty eight hours notice to be delivered at the ordinary place of residence of elected Mayor and members. The notice shall clearly state the Oath of allegiance shall be administered to the Mayor and members present.

(2) The Commissioner shall, within a period of sixty days of the notification of the names of the Mayor and members elected to the Corporation convene a meeting of the Corporation at forty eight hours notice to be delivered at the ordinary place of residence of Mayor and members. The notice shall clearly state that the election of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be held in this meeting to be presided over by the Mayor in the presence of the Commissioner.

(3) The Divisional Commissioner shall administer the oath of allegiance to the Mayor and members present as prescribed in section 33.

(4) The oath of allegiance shall be administered to a Mayor and member who was not present at the meeting convened under sub-rule (3) or to a member elected or nominated to fill a casual vacancy, subsequently by the Mayor and in the case of Mayor by the Divisional Commissioner concerned.

(5) The term of the office of Mayor shall be for five years or the residue of the term of his office.

(6) The term of the office of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be for five years or the residue of the term of his office as a member, whichever is less. The Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be elected from amongst the Members of the Corporation.

(7) The offices of the Mayor in the Corporations shall be filled through direct election by the electors from amongst the persons belonging to the General Category, Scheduled Castes, Backward Classes and Women by rotation which shall be determined in the manner that the number of offices of the Mayor reserved for the Scheduled Castes and Backward

Classes in the State shall bears as may be the same proportion to the total number of such the offices of the Corporation as the population of Scheduled Castes and Backward Classes in the State bears to the total population of the State:

Provided that not less than one third of the total number of offices of the Mayor in the Corporations shall be reserved for Women including the offices reserved for Scheduled Castes and Backward Classes Women. The reservation of offices for women shall rotate to different Corporations, which shall be determined by draw of lots, by a Committee consisting of Director, Urban Local Bodies Department, Divisional Commissioner and Commissioner of the concerned Corporation:

Provided further that number of offices of the Mayor for Scheduled Castes and Backward Classes shall be determined on the basis of their population and shall rotate to different remaining Corporation firstly, having largest population of Scheduled Castes, secondly, from the remaining Corporations having largest population of Backward Classes and they rotate in the subsequent terms of offices of the Corporation having their next largest population and so on. In case of percentage of population of two Corporations as regards Backward Classes and Scheduled Castes is the same, the reservation shall be determined by draw of lots to be conducted by a Committee referred in the above proviso.

12. In the said rules, in rule 72 .-
 - (i) in existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: -
 "Election of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor."; and
 - (ii) in sub-rule (1), the word and sign "Mayor," shall be omitted.
13. In the said rules, in rule 73, the word and sign "Mayor," wherever occurring shall be omitted.
14. In the said rules, in rule 75 .-
 - (i) in the marginal heading, the word and sign "Mayor," shall be omitted; and
 - (ii) in sub-rule (2) the words "Mayor or" shall be omitted; and
 - (iii) in sub-rule (4), in proviso, the words "Mayor or", shall be omitted.
15. In the said rules, in rule 78 .-
 - (i) in sub-rule (1), for the words "No election of member", the words "No election of Mayor or member" shall be substituted; and
 - (ii) in sub-rule (2), for the words "Mayor or" shall be omitted.
16. In the said rules, for the existing Form Number 1, 1-C, 1-D, 2, 2 A, 2 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 17, the following forms shall be substituted, namely :-

FORM-1
[see rule 24(2)]
NOMINATION PAPER

Election to the Corporation

I, nominate as a candidate of election to Mayor from Municipal Corporation_____or election to Member from Ward Number_____of Municipal Corporation_____.

Candidate's Name_____

Postal address _____

Name of the above said candidate is entered at serial Number_____ of the electoral roll of Ward Number_____ of Municipal Corporation_____

My name is entered at serial Number _____ of the electoral roll of Ward Number_____ of Municipal Corporation_____.

Date: _____

(Signature of proposer)

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and hereby declare: -

- (a) that I have completed_____years of age;
- (b) that I am set up at this election by the_____party;
- (c) that the symbols I have chosen are in order of preference-

(i) _____

(ii) _____ and

(iii) _____

**I further declare that I am a member of the_____ Caste/Class which is a Scheduled Caste/Backward Class of the State of _____in relation to _____ (area) in that State and for which the seat has been so reserved.

**I further declare that I am a women candidate for which the seat has been so reserved.

Signature of candidate

(Strike out whichever is not applicable)**

VERIFICATION BY MAGISTRATE

The above declaration is solemnly affirmed before me by _____ who is personally known to me or who has been identified to my satisfaction be_____.

Place :- _____

Date :- _____

Signature of verifying authority with full designation.

(To be filled in by the Returning Officer)

Serial Number of nomination paper _____

This nomination was delivered to me at my office
at _____(hour) on _____(date).

Returning Officer

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper

I have examined this nomination paper in accordance with Rule 27 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 and decide as follows: -

Date: _____

Returning Officer

The symbol assigned to the candidate is _____

Date: _____

Returning Officer

**Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny
(To be handed over to the person presenting the nomination paper)**

Serial Number of nomination paper _____

The nomination paper of candidate for the election to Mayor from Municipal Corporation _____ or election to member from Ward Number _____ of Municipal Corporation _____ was delivered to me at my office at _____ (hour) on _____ (date) by the candidate / proposer. All nomination papers shall be taken up for scrutiny at _____ (hour) on _____(date) at _____(place).

Date: _____

Returning Officer

FORM - 1C
(see rule 24A)

Please affix your recent
passport size
photograph here

Affidavit to be filed by the candidate along with nomination paper before the Returning Officer for election to Mayor from Municipal Corporation _____ or election to member from Ward No. _____ of Municipal Corporation _____

PART-A

I _____ **son/daughter/wife of _____ aged _____ years, resident of _____ (mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

(1) I am a candidate set up by _____ (**name of the political party)/**am contesting as an Independent candidate.
(**strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in _____ (Name of the Municipal Corporation), at Serial Number _____ in Part Number _____

(3) My contact telephone number(s) is/are _____ and my e-mail id (if any) is _____

(4) Details of Permanent Account- Number (PAN) and status of filing of Income Tax return:

Serial Number	Names	PAN	The financial year for which the last Income Tax return has been filed	Total income shown in Income-Tax return (in Rs.)
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5	Dependent-3			

(5) I am/am not accused of any offence(s) punishable with imprisonment for two years or more in a pending case(s) in which a charge(s) has/have been framed by the court(s) of competent jurisdiction. If the deponent is accused of any such offence(s) he shall furnish the following information: -

(i) The following case(s) is/are pending against me in which charges have been framed by the court for an offence punishable with imprisonment for two years or more: -

(a)	Case/First Information Report Number/ Numbers together with complete details of concerned Police Station/ District State.	
(b)	Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s) for which charged	
(c)	Name of the Court, Case Number and date of order taking cognizance:	
(d)	Court(s) which framed the charge(s).	
(e)	Date(s) on which the charge(s) was/were framed.	
(f)	Whether all or any of the proceeding(s) have been stayed by any Court(s) of competent jurisdiction.	

(ii) The following case(s) is/are pending against me in which cognizance has been taken by the court [other than the cases mentioned in item (i) above]:-

(a)	Name of the Court, Case Number and date of order taking cognizance:	
(b)	The details of cases where the court has taken cognizance, section(s) of the Act(s) and description of the offence(s) for which cognizance taken	
(c)	Details of Appeal(s)/Application(s) for revision (if any) filed against the above order(s)	

(6) I have been/have not been convicted of an offence(s) [other than any offence(s) referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section (3), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)] and sentenced to imprisonment for one year or more.

If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following information:

In the following cases, I have been convicted and sentenced to imprisonment by a court of law:

(a)	The details of cases, Section(s) of the concerned Act(s) and description of the offence(s) for which convicted	
(b)	Name of the Court(s), Case Number and date(s) of order(s):	
(c)	Punishment imposed	
(d)	Whether any appeal was/has been filed against the conviction order. If so, details and the present status of the appeal:	

(7) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:

A. Details of movable assets:

Note: 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note: 2. In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given

Note: 3. Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies

should be given.

Note: 4. Dependent here has the same meaning as assigned in Explanation (v) under section 75A of the Representation of the People Act, 1951.

Note: 5. Details including amount is to be given separately in respect of each investment

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs. Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts). Deposits with financial Institutions. Non- Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit					
(iii)	Details of investment in Bonds debentures / shares and units in companies/mutual funds and others and the amount					
(iv)	Details of investment in NSS. Postal Saving. Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount					
(v)	Personal loans/ advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount					
(vi)	Motor Vehicles/ Aircrafts/Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)					
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give I details of weight and value)					
(viii)	Any other assets such as value of claims/ interest					
(ix)	Gross Total Value					

B. Details of Immovable Assets:

Note: 1. Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated.

Note: 2. Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format.

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Agricultural Land Location(s) Survey number(s)					

	Area (total measurement in acres)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(ii)	Non-Agricultural Land: Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in square feet)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase Any investment on the land by way of development, construction etc. Approximate current market value					
(iii)	Commercial buildings (including apartments) -Location(s) -Survey number(s) Area (total measurement in square feet)					
	Built-up Area (total measurement in square feet)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					

	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the property by way of development, Approximate current market value					
(iv)	Residential Buildings (including apartments) :- Location(s)-Survey number(s) area					
	Built up area (Total measurement in square feet)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(v)	Others (such as interest in property)					
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above					

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government: -

(Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Loan or dues to Bank/financial institution(s)Name of the Bank or financial institution, Amount outstanding,					
	Nature of Loan Loan or dues to any Other individuals/entity other than mentioned above Name(s)					
	Amount outstanding, nature of loan Any other liability Grand total of liabilities					
(ii)	Government dues: Dues to departments dealing with government accommodation					
	Dues to department dealing with supply of water					
	Dues to department dealing with supply of electricity					
	Dues to department dealing with supply of telephones/ mobiles					
	Dues to department dealing with government transport (including aircrafts and helicopters)					
	Income tax dues					
	Wealth tax dues					
	Service tax dues					
	Municipal/Property Tax dues					
	Sales Tax dues					
	Any other dues					
(iii)	Grand total of all Government dues					

(iv)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.					
------	--	--	--	--	--	--

(9) Details of profession or occupation:

(a) Self

(b) Spouse

(10) My educational qualification is as under: -

.....
(Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/ degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed)

PART-B

(11) ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART-A:

1.	Name of the candidate			Sh./ Smt./Kum.		
2.	Full postal address					
3.	Name of the Municipal Corporation					
4.	Name of the political party which set up the candidate (otherwise write 'Independent')					
5.	(i) Total number of pending cases where charges have been framed by the Court for offences punishable with imprisonment for two years or more					
	(ii) Total number of pending cases where the court(s) have taken cognizance [other than the cases mentioned in item (i) above]					
6.	Total Number of cases in which convicted and sentenced to imprisonment for one year or more [except for offences referred to in subsections (1), (2) or (3) of section 8 of Representation of the People Act, 1951]					
7.		PAN of		Year for which last income Tax return filed	Total income shown	
		(a) Candidate				
		(b) Spouse				
		(c) Dependents				
8.	Details of Assets and Liabilities in Rupees					
	Description	Self	Spouse	Dependent - 1	Dependent - 2	Dependent - 3
A	Moveable Assets (Total value)					
B.	Immovable Asset					
	(i)	Purchase Price of self-acquired immovable property				
	(ii)	Development / construction cost of immovable property after purchase (if applicable)				

	(iii)	Approximate Current market price of-					
		(a) self-acquired assets (Total Value) (b) inherited assets (Total Value)					
9.		Liabilities					
	(i)	Government dues (Total)					
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
10.		Liabilities that are under dispute					
	(i)	Government dues (Total)					
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
11.		Highest educational qualification: (Give details of highest School/ University education mentioning the full form of the certificate/ diploma/degree course, name of the School/College/ University and the year in which the course was completed.)					

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that: -

- (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;
- (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at..... this theday of..... ,

DEPONENT

Note: 1. Affidavit should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations.

Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.

Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,

Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly.

FORM-1D
(see rule 24A)

Affidavit/declaration to be filed by the candidate along with nomination paper and Form 1C before the Returning Officer for election to Mayor from Municipal Corporation.....or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

I.....**son/daughter/wife

agedyears, resident of.....(Mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

(1) I am a candidate set up by (**name of the political party)/**am contesting as an Independent .

(**strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in..... (Name of the Municipal Corporation) at Serial Numberin Part No.....

(3) My contact telephone number(s) is/areand my e-mail id (if any) is

(4) I have not incurred any of the following disqualifications, as laid down under Section 8 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 :-

- (i) I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.
- (ii) I have not failed to pay any arrear of any kind due to me to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No Dues certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed.
- (iii) I have not failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.
- (iv) I have passed matriculation examination or its equivalent examination from recognized institution/board

Or

I have passed the middle class (in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled caste)

Or

I have passed the 5th class (in case of a woman candidate belonging to Scheduled caste, **excluding Mayor**)

A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.

- (v) I have a functional toilet at the place of my residence.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at..... this theday of

DEPONENT

- Note: 1. Affidavit/Declaration should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations
- Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or Notary Public.
- Note: 3. All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
- Note: 4. Affidavit/Declaration should either be typed or written legibly and neatly."

FORM-2
[see rule 40(2)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election to Mayor from Municipal Corporation.....Or election to member from Ward Number. of Municipal Corporation.....

I _____ a candidate at the above election, do hereby appoint _____ son/daughter of _____ as a polling agent to attend Polling Station Number _____ at/place fixed for the poll at _____.

Signature of Candidate

Place: _____

Date: _____

I agree to act as such Polling Agent.

Place: _____

Signature of Polling Agent

Date: _____

Declaration of Polling Agent to be signed before Presiding Officer

I hereby declare that at the above election, I will not do anything forbidden by the Municipal Corporation Election Rules, 1994.

Date: _____

Signature of Polling Agent

Signed before me.

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM - 2A
[see rule 40A]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member
from Ward Number of Municipal Corporation.....

To

The Returning Officer

I _____ a candidate at the above election do
hereby appoint Sh. _____
(Name and Address) as my election agent from this day at the above election.

Place _____

Date _____

Signature of Candidate

I accept the above appointment.

Place _____

Date _____

Signature of Election Agent

* Appropriate particular of the election to be indicated here.

FORM - 2B
[see rule 40B (2)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from
Ward Number..... of Municipal Corporation.....

To
The Returning Officer/Presiding Officer,

I _____ a candidate/** the election agent of
_____ who is a candidate at the above election hereby
appoint the following persons as my/his** counting agents to attend the counting of votes at
_____.

Name of the Counting Agent

Address of the Counting Agent

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- etc.

Place _____
Date _____

Signature of Candidate/
Election Agent**

We agree to act as such Counting Agents.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- etc.

Place _____
Date _____

Signature of the Counting Agents

DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

We hereby declare that at the above election, we shall not do anything forbidden under sub-sections (1) and (2) of section 23 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), which we have read/has been read over to us.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- etc.

Place _____

Signature of Counting Agents

Date _____

Signed before me

Signature of the Returning Officer/
Presiding Officer

* - Appropriate particulars of the Election to be inserted.

** - Strike off the inappropriate alternative.

Section 23 – (1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both."

FORM-3

[see rule 47(2)(c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

Polling Station Number.....Signature Sheet Number

Serial No. of entry	Name of elector	Serial number of elector's name in the roll	Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged	Name of identifier, if any	Name of challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Date :

Signature of Presiding Officer

FORM-4
[see rule 54(2)]

LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from
 Ward Number of Municipal Corporation.....

Number of Polling Station/Place of Poll _____

Serial number of elector on the roll	Full name of elector	Full name of companion	Address of companion	Signature of companion
1	2	3	4	5

Dated

Signature of Presiding Officer

FORM-5
[see rule 56(2)]

LIST OF TENDERED VOTES

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member
 from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

Number of Polling Station/Place of Poll

Serial number and name of elector on the roll	Address of elector	Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted	Signature or thumb impression of person tendering vote
1	2	3	4	5

Date: _____

Signature of Presiding Officer

**FORM-6
(See rule 58)**

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member
from Ward Number of Municipal Corporation.....

Number of Polling Station/Place of Poll _____

	<u>Serial Numbers</u>	<u>Total Number</u>
(1) Ballot papers received	_____	_____
(2) Ballot papers un-used_____		
(a) with signature of the Presiding Officer, if any, and		_____
(b) Without the signature of the Presiding Officer		_____
(3) Ballot papers issued to voters		_____
(4) Ballot papers cancelled_____		
(a) for violation of voting procedure		_____
(b) for any other reason		_____
(5) Ballot papers used as tendered ballot papers		_____
(6) Ballot papers which should Be in the Ballot Box		_____

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM-7
[see rule 61(2) and 62(4)]
(To be filled after counting of votes)

FORM OF ACCOUNT OF BALLOT PAPERS

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member
from Ward Number..... of Municipal Corporation.....
Polling Station Number -----
Date of counting -----

Serial No.	Name of Candidate	Number of valid votes cast
------------	-------------------	----------------------------

1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____ etc.	_____

(ii) Rejected ballot papers _____

(iii) Total _____

(iv) Whether the total number of ballot papers shown against Item No.III above tallies with total shown against Item Number 6 in Form-6 or any discrepancy noticed between these two figures.

Date: _____

Signature of Presiding Officer

FORM - 8
 [see rules 63, 70U(2)(c), 70V(1) and 70W(2)]

FORM OF CONSOLIDATION OF ACCOUNT OF THE CONTESTED BALLOT PAPERS

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from
 Ward Number..... of Municipal Corporation.....

Polling Station Number	Total votes found in the ballot box(es)/ EVM(s)	Number of tendered votes	Candidate's valid votes								Valid votes Total	Number of rejected ballot papers	Votes for "NOTA" option	Valid and rejected votes
			A	B	C	D	E	F	G	H				
1														
2														
3														
4														
5														
Etc.														
Total														

Place _____

Date _____

Returning Officer

FORM-9
[see rule 51-A(1)]

LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER

To

The Returning Officer
_____Constituency, Ward Number____
_____ Municipal Corporation of _____

Sir,

I intend to cast my vote by post at the ensuing election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

I have been posted on election duty at polling station Number_____of _____ Constituency, (Ward Number) _____ in Municipal Corporation of _____My name is entered at Serial Number _____ of the electoral rolls for _____ Constituency, (Ward Number)_of Municipal Corporation of _____.

The ballot paper may be sent to me at the following address.

Yours faithfully,

Place :

Date :

(_____)

FORM - 10
[see rule 70N(1)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number of Municipal Corporation.....

To

The Returning Officer,
Ward Number _____

Sir,

I intend to cast my vote in person at the ensuing election to the above ward.

My name is entered at Serial Number _____ in part Number _____ of the electoral roll for the above Ward.

I have been posted on election duty at Polling Station Number _____
Polling Station Name _____ of Ward Number _____.

I request that an Election Duty Certificate in Form 12 may be issued to enable me to vote at the polling station where I shall be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address: -

Yours faithfully,

Date _____

(Applicant's name)

FORM - 11
[see rules 70G, 70H(7), 70M, 70P(1)(f) and 70X(1)(e), Form 17]

REGISTER OF VOTERS

Election to Mayor from Municipal Corporation.....Or election to member
 from Ward Number of Municipal Corporation.....

Number and Name of Polling Station_____

Part Number of Electoral Roll_____

Serial Number	Serial number of elector in the electoral roll	Signature/thumb impression of elector	Remarks
1			
2			
3			
4			
5 etc.			

Signature of the Presiding Officer

FORM - 12

[see rules 70N(1)(a) and 70P(1)(e)]

ELECTION DUTY CERTIFICATE

Certified that Sh./Smt. _____

S/o / D/o / W/o _____ is an elector in the
_____ *Ward, his electoral roll number being _____ that
by reason of his being on election duty, he is unable to vote at the polling station, where
he is entitled to vote and as such is hereby authorized to vote at any polling station, he may
be on duty on the date of poll.

Place _____

Signature of Returning Officer

Date _____

Seal

* Appropriate particulars to be inserted.

FORM - 13
[see rule 70N(4)(a) and (6)(b) and (c) and Form 16]

DECLARATION BY ELECTOR FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number _____ has been issued at the above election.

Date: _____

Signature of the Elector

Address

.....

.....

ATTESTATION OF SIGNATURE

The above has been signed in my presence by _____
(elector) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by
_____ (identifier) who is personally known to me .

Signature of the Identifier

If any _____

Address _____

Signature of the Attesting Officer,

Designation _____

Address _____

Date _____

(This side is to be used when the elector cannot sign himself)

I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number _____ has been issued at the above election.

Date :

Signature of Attesting Officer On behalf of Elector

Address of Elector

.....

CERTIFICATE

I hereby certify that –

- (1) the above named elector is personally known to me/has been identified to my satisfaction by ___ known to me.(identifier) who is personally
- (2) I am satisfied that the elector is illiterate/suffers from _____ (infirmity) and is unable to record his vote himself or sign his declaration.
- (3) I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf.
- (4) The ballot paper was marked and the declaration signed by me on his behalf in his presence and in accordance with his wishes.

Signature of the Identifier

Signature of the Attesting Officer,

If any

Designation

Address

Address

.....

.....

FORM - 14
[see rule 70N(4)(b) and (6)(a)]

COVER "A"

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to
member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

POSTAL BALLOT PAPER

Serial Number of ballot paper _____

FORM - 15
[see rule 70N(4)(c)]

LARGE COVER "B"

To be used at Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

COVER "B"

SERVICE UNPAID

Every Officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the address without delay. [Rule 51A(4)]

ELECTION – IMMEDIATE

Postal Ballot Paper

For election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

(NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)

To

The Returning Officer
** _____

Signature of the Sender _____

* Returning Officer to insert here the appropriate particulars of the Ward.

** Returning Officer to mention here the full address.

FORM - 16
[see rules 70N(4)(d) and (6)(a) and (c) and 70W(1)]

**INSTRUCTION FOR THE GUIDANCE OF ELECTORS FOR USE OF POSTAL
 BALLOT PAPER**

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to
 member from Ward Number of Municipal Corporation.....

The person whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. If you desire to vote you shall record your vote in accordance with the directions given in Part-I below and then follow the instructions detailed in Part-II.

PART – I

DIRECTIONS TO ELECTORS

1. The number of members to be elected is one.
2. You have only one vote.
3. You must not vote for more than one candidate. If you do so your ballot paper shall be rejected.
4. Record the vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give that vote.
5. The mark shall be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given the vote, that vote shall be invalid.
6. Do not put your signature or write any word or make any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark which you are required to make thereon in accordance with paragraph 4.
7. An elector shall obtain the attestation of his signature on the declaration in Form 13 by a magistrate or a Gazetted Officer, if he is on election duty, by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station in which he is on election duty; and

PART - II
INSTRUCTIONS FOR ELECTORS

- (a) After you have recorded your vote on the ballot, place the ballot paper in the smaller cover marked "A" sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
- (b) You have then to sign the declaration in Form 13 also sent herewith in the presence of a Magistrate or any other Officer competent to attest your signature (see direction 7 above). Take the declaration to any such Officer and sign it in his presence after he has been satisfied about your identity. The Officer shall attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the Attesting Officer nor tell him how you have voted.
- (c) If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity you are entitled to have your vote marked and the declaration signed on your behalf by any Officer referred to in item (b). Such an Officer shall at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He shall also complete the necessary certificate in this behalf.
- (d) After your declaration has been signed and your signature has been attested in accordance with item (b) or item (c) place the declaration in Form 13 as also the smaller cover marked "A" containing ballot paper, in the larger cover marked "B". After closing the larger cover, sent it to the Returning Officer by post or by messenger. You have to give your full signature in the space provided on the cover marked "B" No postage stamp need be affixed by you.
- (e) You must ensure that the cover reaches the Returning Officer before **
_____ on _____.
- (f) Please note that:
- (i) If you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper shall be rejected; and
- (ii) If the cover reaches the Returning Officer after _____ on the _____
_____ your vote shall not be counted.

* Appropriate particulars of the election to be inserted.

** Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.

FORM - 17
[see rules 70Q(1), 70R(1)(ii), 70U(2) (a) and (b), 70V(1)]

PART-I – ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member
 from Ward Number of Municipal Corporation.....

Number and Name of Polling Station _____

Identification Number of Voting Machine used at the Polling Station

Control Unit _____

Balloting Unit _____

1. Total Number of electors assigned to the Polling Station.
2. Total Number of voters entered in the Register of Voters (Form 11)
- 3. Total number of voters for "None of the Above".**
4. Number of voters not allowed to vote under rule 70G or 70H
5. Total Number of votes recorded as per voting machine.
6. Whether the total Number of votes as shown against item 5 tallies with the total Number of voters as shown against item 2 minus Numbers of voters deciding not to record votes as against item 3 minus Number of voters as against item 4 (2-3-4) or any discrepancy noticed.
7. Number of voters to whom tendered ballot papers were issued under rule 56
8. Number of tendered ballot papers.

Serial number

From.....to.....

- (a) received for use _____
- (b) issued to electors _____
- (c) not used and returned _____

9. Account of papers seals

Serial numbers

From.....to.....

Signature of Polling Agents

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Serial number of paper seals supplied.
From _____ to _____ | 1. _____
2. _____ |
| 2. Total numbers supplied. | 3. _____ |
| 3. Number of paper seals used. | 4. _____ |
| 4. Number of unused paper seals returned to
Returning Officer (Deduct item 3 from item 2) | 5. _____
6. _____ |
| 5. Serial number of damaged paper seal, if any | 7. _____ |

Date _____

Signature of Presiding Officer

Place _____

Polling Station Number _____

PART-II – RESULT OF COUNTING

Serial Number	Name of Candidate	Number of votes recorded
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Total		

Whether the total numbers of votes shown above tallies with the total Number of votes shown against the item Number 5 of Part-I or any discrepancy noticed between the two totals.

Place _____

Date _____

Signature of Counting Supervisor/Presiding Officer

Name of Candidate/election agent/counting agents

Full Signature

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

.....
.....

Signature of Returning Officer/Presiding Officer

ANAND M. SHARAN
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst No.**Dated:-**

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra-Ordinary).

He is requested to supply 50-50 printed copies of the said notification to the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh/ Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula.

Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst No.**Dated:-**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. State Election Commission, Haryana, Panchkula
2. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
3. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula.
4. All the Deputy Commissioners in the State of Haryana.
5. All the Commissioners in the State of Haryana.
6. All the Executive Officer of Concerned Corporations in the State of Haryana.

Superintendent Committee-II
for Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

CC: Nodel Officer (Web Portal)

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक : - 14-11-2018

संख्या. 2/10/2018-आर 11 .- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, प्रस्तावना में, "सदस्यों" शब्द के स्थान पर, "महापौर तथा सदस्यों" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (ज) में "जिसके सदस्य" शब्द के स्थान पर "जिसका महापौर और सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : -

"23. मेयर और सदस्यों की अयोग्यताएं .- (1) कोई व्यक्ति निगम का महापौर और सदस्य इस प्रकार चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, यदि उसमें धारा 8 में यथा वर्णित अयोग्यताओं में से कोई पाई जाती है।

(2) कोई भी व्यक्ति निगम के महापौर और सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, इनमें से किन्हीं भी प्रवर्गों का सदस्य नहीं है।"

5. उक्त नियमों में, नियम 24 में,-
 - (i) उप-नियम (1) में, "सदस्यता के लिये अपात्र" शब्दों के स्थान पर "महापौर या सदस्यता के लिये अपात्र" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ii) उप-नियम (4) में, "उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए" शब्दों के स्थान पर, "उसी वार्ड में महापौर और सदस्य के निर्वाचन के लिए चुनाव" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे; तथा

(iii) उप-नियम (4) में, परन्तुक में “उसी वार्ड के चुनाव के लिए” शब्दों के स्थान पर “उसी वार्ड में महापौर या सदस्य के चुनाव के लिए” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 25 में,—

- (i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
- “(1) किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को तब तक विधिवत् दिया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक कि नियम 24 के अधीन उसे देते समय उम्मीदवार द्वारा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि उपायुक्त के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती अथवा जमा नहीं करवाता, अथवा नामांकन पत्र के साथ यह दर्शाते हुये रसीद संलग्न नहीं करता है कि उक्त राशि खजाने में जमा करवा दी है या उस दिन के बाजार मूल्य के बराबर सरकारी प्रनोट संलग्न नहीं करता :—

सारणी

जमा की जाने वाली राशि			
यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला नहीं है		यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला है	
मेयर	सदस्य	मेयर	सदस्य
₹ 10,000.00	₹ 3,000.00	₹ 5,000.00	₹ 1,500.00

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार द्वारा उसी वार्ड में महापौर और सदस्य के लिये निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक बार राशि जमा करवाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।”

- (ii) “उप-नियम (4) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक वार्डों में महापौर अथवा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो उसकी ओर से या उसके निमित्त जमा करवाई गई राशियों में से एक से अधिक नहीं लौटाई जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।”

7. उक्त नियमों में, नियम 32 में, उप-नियम (1) में “यदि किसी वार्ड में केवल एक उम्मीदवार है” शब्दों के स्थान पर “यदि वार्ड में महापौर अथवा सदस्य के लिए केवल एक उम्मीदवार है” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“33. मतदान करवाया जाना, यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है .- यदि किसी वार्ड में महापौर अथवा सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान करवाया जायेगा।”

9. उक्त नियमों में, नियम 34 में “वार्ड या वार्डों की जिनमें वह उम्मीदवार था, उसमें चुनाव के निर्देश में सभी कार्यवाहियां ” शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, “वार्ड या वार्डों में महापौर; या सदस्य के चुनाव के सन्दर्भ में सभी कार्यवाहियां, जिनमें वह उम्मीदवार था” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, नियम 63 में, “यदि उस वार्ड में कोई भी मतदान करवाना आवश्यक न हो” शब्दों के स्थान पर, “यदि महापौर; या सदस्य के लिए उस वार्ड में कोई भी मतदान करवाना आवश्यक न हो” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“ 71. महापौर तथा सदस्यों के पद के लिए राज्यनिष्ठा की शपथ और महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर इत्यादि की पदावधि .- (1) मण्डलीय आयुक्त द्वारा निगम के निर्वाचित महापौर और सदस्यों के नामों की अधिसूचना के तीस दिन की अवधि के भीतर, निर्वाचित महापौर और सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस देते हुए नवगठित निगम की प्रथम बैठक बुलायेगा और अध्यक्षता करेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि उपस्थित महापौर और सदस्यों को राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जायेगी।

(2) आयुक्त, निगम के लिए निर्वाचित महापौर तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के साठ दिन की अवधि के भीतर, महापौर और सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव, आयुक्त की उपस्थिति में महापौर द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली इस बैठक में आयोजित किए जाएं।

(3) मण्डलीय आयुक्त धारा 33 में यथा विहित उपस्थित महापौर और सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन बुलाई गई बैठक में महापौर या सदस्य, जो उपस्थित नहीं होता है अथवा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अथवा नामांकित हुये सदस्य को तत्पश्चात् सत्यनिष्ठा की शपथ महापौर द्वारा दिलवाई जायेगी और महापौर के मामले में शपथ सम्बद्ध मण्डलीय आयुक्त द्वारा दिलवाई जायेगी।

(5) महापौर के पद की अवधि पांच वर्ष या उसकी शेष पदावधि तक के लिये होगी।

(6) वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर की पदावधि, पांच वर्ष के लिये या सदस्य के रूप में उसकी शेष पदावधि, जो भी कम हो, तक होगी। वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर निगम के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे।

(7) निगम में महापौर का पद सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा महिलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरे जाएंगे जो इस रीति में अवधारित की जाएगी कि राज्य में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, निगम के ऐसे पदों की कुल संख्या ऐसे समरूप अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात है :

परन्तु निगमों में महापौर के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग-अलग निगमों में बारी-बारी से होगा, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मण्डलीय आयुक्त तथा सम्बद्ध निगमों के आयुक्त से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा अवधारित किया जायेगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये महापौर के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी और प्रथमतः अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले विभिन्न शेष निगमों में बारी-बारी से होगी, द्वितीयतः पिछड़े वर्गों की अधिकतम जनसंख्या वाले शेष निगमों से होगी तथा इस तरह उनकी अगली अधिकतम आबादी वाले निगम के पदों की पश्चात्वर्ती अवधि में बारी-बारी से होगी। यदि दो निगमों में जनसंख्या की प्रतिशतता पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक समान है, तो आरक्षण उपरोक्त परन्तुक में निर्दिष्ट समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉट्स द्वारा अवधारित किया जाएगा।

12. उक्त नियमों में, नियम 72 में .—

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् : —

“वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर के चुनाव।”; तथा

(ii) उप-नियम (1) में, “महापौर,” शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

13. उक्त नियमों में, नियम 73 में “महापौर,” शब्द तथा चिह्न, जहां कहीं भी आएँ, का लोप कर दिया जाएगा।

14. उक्त नियमों में, नियम 75 में .—

(i) उपान्तिक शीर्ष में “महापौर,” शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) में “महापौर,” शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(iii) उप नियम (4) में, परन्तुक में, “महापौर या” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

15. उक्त नियमों में, नियम 78 में .—

(i) उप-नियम (1) में, “सदस्य” शब्द के स्थान पर “महापौर या सदस्य” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; तथा

(ii) उप-नियम (2) में, “महापौर, या” शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

16. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1, 1ग, 1घ, 2, 2क, 2ख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 तथा 17 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप-1

[देखिए नियम 24^{1/2}]
नामांकन पत्र

निगम के लिए निर्वाचन

मैं, उम्मीदवार को नगर निगम _____ के महापौर के चुनाव अथवा नगर निगम _____की वार्ड संख्या _____ से सदस्य के चुनाव के रूप में नामजद करता हूँ।

उम्मीदवार का नाम _____

उसका डाक पता _____

उपरोक्त उम्मीदवार का नाम नगर निगम _____ के वार्ड संख्या _____ की मतदाता सूची में क्रम संख्या _____ पर दर्ज है।

मेरा नाम _____ नगर निगम _____ की वार्ड संख्या की मतदाता सूची _____ में क्रम संख्या _____ पर दर्ज है।

तिथि : _____

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

मैं, उपर वर्णित उम्मीदवार, इस नामांकन से सहमत हूँ तथा एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ

(क) कि मैंने _____ वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

(ख) कि मुझे _____ पार्टी द्वारा इस चुनाव के लिए खड़ा किया गया है।

(ग) कि जो निशान मैंने चुने हैं अधिमान्यता के क्रम से इस प्रकार हैं :-

(i) _____

(ii) _____ तथा

(iii) _____

**मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि मैं _____ जाति/वर्ग का सदस्य हूँ जो _____राज्य के _____ (क्षेत्र) से अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तथा जिसके लिए स्थान इस प्रकार आरक्षित किया गया है।

**मैं यह और घोषणा करती हूँ कि मैं एक महिला उम्मीदवार हूँ जिसके लिए यह सीट ऐस रूप में आरक्षित की गई है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(** जो यदि लागू ना हो उसे काट दें)

मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन

उपर्युक्त घोषणा ----- द्वारा सत्यनिष्ठा से मेरे सामने की गई है, उसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अथवा उसकी पहचान मेरी संतुष्टि के अनुसार की गई है।

स्थान -----
तिथि -----

सत्यापन प्राधिकारी के पूरे
पदनाम सहित हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा 1/2

नामांकन पत्र की क्रम संख्या -----

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में ----- (तिथि) को
समय ----- (बजे) दिया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय

मैंने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 27 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है तथा निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है :-

तिथि: -----

रिटर्निंग अधिकारी

उम्मीदवार को दिया गया निशान ----- है।

तिथि :-----

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र की रसीद तथा संवीक्षा के लिए नोटिस
नामांकन पत्र देने वाले व्यक्ति को दी जाए 1/2

नामांकन पत्र की क्रम संख्या -----

नगर निगम ----- से महापौर के चुनाव अथवा नगर निगम-----
की वार्ड संख्या ----- से सदस्य के चुनाव के लिये उम्मीदवार का नामांकन पत्र मुझे मेरे
कार्यालय में ----- (बजे) ----- (दिनांक) को उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा
दिया गया। सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा -----(बजे) ----- (दिनांक)
----- (स्थान) पर की जायेगी।

तिथि :-----

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 1ग

[देखिए नियम 24क]

कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी वार्ड संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

भाग – क

मैं**पुत्र/पुत्री/पत्नीआयु.....वर्ष, जो.....(पूरा डाक पता दर्शायें) का/की निवासी हूं उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं:-

- (1) मैं;.....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम.....(नगर निगम का नाम), में भाग संख्याके क्रम संख्यापर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन संख्या/ संख्याएंहै/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो).....है।
- (4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी दायर करने की स्थिति :-

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित-1			
4	आश्रित-2			
5	आश्रित-3			

- (5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास में दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-
 - (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे सहित मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि।	
(घ)	न्यायालय(न्यायालयों) जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	
(ङ.)	तिथि (तिथियां) जिसके आरोप विरचित किए गए थे।	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही (कार्यवाहियों) किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [उपरोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	उपरोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण (यदि कोई हों) के लिए दायर की गई अपील (अपीलों) /आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे	

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) में आने वाले किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां)	
(ख)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई थी/है। यदि हां, तो	

	अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।	
--	-----------------------------------	--

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल) आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण: 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण: 2. जमा/निवेश की दशा में, कम संख्या रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण: 3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में है।

टिप्पण: 5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के संबंध में प्रथमतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में राशि					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनितों में निवेश के ब्यौरे और राशि					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पालिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और राशि					
(v)	किसी व्यक्ति या हस्ती जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा					

	राशि					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्ररीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और राशि)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. अचल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण: 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण: 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यां (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) —अवस्थिति (अवस्थितियां) —सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश, अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):— अवस्थिति (अवस्थितियां)—सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्योरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय, हस्ती या व्यष्टियों के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष राशि के ब्योरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम,					
	ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित नाम (नामों) से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों/हस्ती को ऋण या देय					
	बकाया राशि, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देय: सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को देय					
	जल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से सम्बन्धित विभाग को देय					

	आय-कर देय					
	धनकर देय					
	सेवाकर देय					
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय					
	विक्रयकर देय					
	कोई अन्य देय					
(iii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां, तो अंतर्वर्तित राशि और					
	प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं.....

(ख) पति या पत्नी.....

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.
2.	डाक का पूरा पता	
3.	नगर निगम का नाम	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों	

	के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।					
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)					
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]					
7.	 की स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है	कुल दर्शाई गई आय		
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	चल सम्पतियां (कुल मूल्य)					
ख.	अचल सम्पति					
	(i)	स्वार्जित अचल संपत्ति की क्रय कीमत				
	(ii)	क्रय के पश्चात अचल संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)				
	(iii)	अनुमानित वर्तमान				

		बाजार मूल्य					
		(क) स्वार्जित सम्पत्ति (कुल मूल्य) (ख) विरासती सम्पतियां (कुल मूल्य)					
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी देय (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i)	सरकारी देय					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता— (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूं कि:

- (क) मेरे विरुद्ध उपरोक्त भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है;
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित सम्पत्ति या दायित्व से भिन्न कोई सम्पत्ति नहीं है।

आज20.....के.....दिन कोपर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1 शपथपत्र नामांकन पत्रों की जांच की तिथि वाले दिन दस बजे से पहले तक दायर किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

- टिप्पण: 3 सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप – 1घ
[देखिए नियम 24क]

नगर निगम..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी वार्ड संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र तथा प्ररूप 1-ग सहित, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र/घोषणा।

मैं.....**पुत्र/पुत्री/पत्नी..... आयु.....वर्ष
..... (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

- (1) मैं.....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।
(*जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम.....(नगर निगम का नाम) मे, भाग संख्यामें क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे सम्पर्क टेलीफोन नम्बर.....है/हैं और मेरा ई-मेल आई डी (यदि कोई हो).....है।
- (4) मैंने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अधीन दी गई निम्न में से कोई अयोग्यता प्राप्त नहीं की है:-

- (i) मैं किसी मामले में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ तथा किसी अपराधिक मामले, जिसमें दस वर्ष से कम का कारावास न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा मेरे विरुद्ध आरोप नहीं लगाये गये हैं।
- (ii) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण-पत्र (प्रमाण पत्रों) संलग्न है/हैं।
- (iii) मैं बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। सम्बन्धित विद्युत उपयोग से बेबाकी प्रमाण-पत्र संलग्न है।

(iv) मैंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैंने मिडल कक्षा पास की है (किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैंने पांचवी कक्षा पास की है (अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, महापौर का छोड़कर)

सम्बन्धित संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(v) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्त्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज 20.....केदिन को.....पर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण: 1 शपथपत्र/घोषणा, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि को 10:00 बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3 सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4 शपथपत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप – 2
[देखिए नियम 40(2)]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मैं उपर्युक्त निर्वाचन का उम्मीदवार एतद् द्वारा
पुत्र/पुत्री..... को मतदान केन्द्र संख्या.....पर/मतदान के लिए निश्चित
स्थान पर उपस्थित होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान

तिथि

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं इस प्रकार मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान

तिथि

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं उपर्युक्त चुनाव में नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 द्वारा वर्जित
कोई कार्य नहीं करूंगा।

तिथि

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

तिथि

पीठासीन अधिकारी

प्ररूप – 2क
[देखिए नियम 40क]
निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम की
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

.....
.....
.....

मैं..... उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा श्री
..... (नाम तथा पता) को
उपरोक्त निर्वाचन में आज से अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान.....

तिथि.....

. उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं।

स्थान

दिनांक

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

* निर्वाचन के समुचित ब्योरे यहां निर्दिष्ट किए जाएं।

प्ररूप – 2ख
[देखिए नियम 40(ख)(2)]

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव ।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी,

.....

.....

मैं..... उम्मीदवार/**निर्वाचन
अभिकर्ता जो उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को
..... में मतगणना पर हाजिर रहने के लिए मुझे/उसके **गणना अभिकर्ता के रूप में
नियुक्त करता हूँ।

गणना अभिकर्ता का नाम

गणना अभिकर्ता का पता

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

उम्मीदवार/गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर**

हम ऐसे गणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1

2

3

4

5

6

इत्यादि

स्थान

तिथि

गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1964 (1994 का 16) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

इत्यादि

स्थान

गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*निर्वाचन के समुचित ब्योरे निर्दिष्ट किए जायें।

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 23.—(1) प्रत्येक अधिकारी अथवा लिपिक, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतों की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए संगणित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं भेजेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबन्धों की उल्लंघन में जान बूझकर कार्य करता है, तो वह या तो तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। **।

प्ररूप – 3
[देखिए नियम 47(2)ग]

आक्षेप किए गए नामों की सूची

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र संख्या हस्ताक्षर शीट संख्या

प्रविष्टि की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	सूची में मतदाता के नाम की क्रम संख्या	आपत्ति किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	आपत्ति किए गए व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता यदि कोई हो, का नाम	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा राशि वापिस प्राप्त करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तिथि :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 4
[देखिए नियम 54(2)]

नेत्रहीन तथा अशक्त मतदाताओं की सूची

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
..... की वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान

सूची में मतदाता का क्रम संख्या	मतदाता का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पता	साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

तिथि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 5
[देखिए नियम 56(2)]

निविदत मतों की सूची

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान

सूची में मतदाता का क्रम संख्या तथा नाम	मतदाता का पता	निविदत मतपत्र की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपर्ची की क्रम संख्या जिसने पहले मतदान कर रखा है	मत डालने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तिथि :.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 6
[देखिए नियम-58]

मतपत्र लेखा

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
..... की वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान

	कम संख्या	कुल संख्या
(1) प्राप्त हुये मतपत्र
(2) अप्रयुक्त मतपत्र.....		
(क) पीठासीन अधिकारी, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर से, तथा	
(ख) पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के बिना।	
(3) मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र	
(4) रद्द किए गए मतपत्र.....		
(क) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए	
(ख) किसी अन्य कारण से	
(5) निविदत मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र	
(6) मतपत्र जो मतपेटी में होने चाहिए।	

तिथि.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 7
[देखिए नियम 61(2) तथा 62(4)(ख)]
मतों की गणना करने के बाद भरा जाएगा 1/2

मतपत्रों की गणना का प्ररूप

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।
मतदान केन्द्र संख्या.....
गणना की तिथि

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या
1.
2.
3.
4.आदि

(ii) रद्द किए गए मतपत्र.....

(iii) कुल संख्या

(iv) क्या ऊपर मद संख्या iii में दर्शाए गये मतपत्रों की संख्या प्ररूप 6 में मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई संख्या से मिलती है या इन दोनों आंकड़ों में कोई विसंगति ध्यान में आ गई है।

तिथि.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 8
[देखिए नियम 63, 70प (2) (ग), 70फ (1) तथा 70(ब)(2)]

गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम की
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र संख्या	मतपेटी (पेटियों)/ इलैक्टॉनिक मतदान मशीन (मशीनों) में पाये गये कुल मत	निविदत मतों की संख्या	उम्मीदवार के वैध मत							कुल वैध मत	अस्वीकृत मतों की संख्या	मतों के लिए “नोटा” विकल्प	वैध तथा अस्वीकृति कुल मत
			क	ख	ग	घ	ङ	च	छ				
1													
2													
3													
4													
5													
इत्यादि													
कुल													

स्थान.....

तिथि.....

रिटर्निंग अधिकारी”।

प्ररूप – 9
[देखिए नियम 51क (1)]

रिटर्निंग अधिकारी को सूचना पत्र

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

.....निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड संख्या.....

नगर निगम.....

महोदय,

मैं नगर निगम ----- के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम -----की वार्ड संख्या ----- से सदस्य के चुनाव के लिये अपना मतपत्र डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मुझे.....नगर निगम में.....निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड संख्या) के मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मेरा नाम नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड संख्या) के लिए क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :-

भवदीय,

स्थान :

तिथि :

(.....)

प्ररूप – 10
[देखिए नियम 70 ढ (1)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम की
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,
वार्ड संख्या

श्रीमान जी,

मैं उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निजी रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त
वार्ड की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या.....पर दर्ज है।

मैं वार्ड संख्याके मतदान केन्द्र संख्यामतदान केन्द्र
का नाम पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 12 में मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र मतदान केन्द्र, जहां पर मैं मतदान
के दिन मतदान ड्यूटी पर रहूंगा, में मतदान हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्नलिखित
पते पर भेजा जाये :-

भवदीय,

तिथि :.....

(आवेदक का नाम)

प्ररूप – 11
[देखिए नियम 70छ, 70ज(7), 70ड, 70त(1)(च) तथा 70भ(1)(ड़)]

मतदाताओं का रजिस्टर

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम की
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम

मतदाता सूची की भाग संख्या

क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5 इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप - 12

[देखिए नियम 70ढ(1)(क) तथा 70त(1)(ड़)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/ पत्नी *वार्ड संख्या..... में निर्वाचक
है, उसकी निर्वाचक नामावली संख्या..... है, जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के
कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा
उसे किसी मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को ड्यूटी पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया
जाता है।

स्थान

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

तिथि

मोहर

* समुचित ब्योरे दिये जायें।

प्ररूप – 13
[देखिए नियम 70ढ(4)(क) तथा (6) (ख) तथा (ग)]

डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

(इस तरफ का प्रयोग केवल तब किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी
वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे.....कम
संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

तिथि

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता

.....

.....

हस्ताक्षर का सत्यापन

उपरोक्त(निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं
जो मुझे व्यक्तिगत रूप में जानता है/जिसे (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी
सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई हो

पदनाम

पता

पता

.....

.....

तिथि

(इस तरफ का तब प्रयोग किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ जिसे.....क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

दिनांक

निर्वाचक की ओर से तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचक का पता

.....

प्रमाण पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि—

- 1) उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है। जिसे (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।
- 2) मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो (अशक्तता) से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।
- 3) उसने मुझ से उसकी ओर मतपत्र चिह्नित करने और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।
- 4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतमत्र चिह्नित और घोषणा हस्ताक्षरित की थी।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई हो

पदनाम

पता

पता

.....

.....

तिथि

प्ररूप – 14
[देखिए नियम 70ड(4) (ख) तथा (6) (क)]

लिफाफा "क"

गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
..... की वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

डाक मतपत्र

डाक मतपत्र की क्रम संख्या.....

प्ररूप – 15
[देखिए नियम 70ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा "ख"

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
की वार्ड संख्या से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।

लिफाफा "ख"

सरकारी बिना टिकट

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते
पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 51क (4)}

निर्वाचन-अविलम्ब

डाक मतपत्र

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
की वार्ड संख्या से सदस्यके चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

**

.....

.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर.....

.....

.....

* रिटर्निंग अधिकारी यहां पर वार्ड के समुचित ब्योरे लिखें।

** रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

प्ररूप – 16

[देखिए नियम 70ढ (4)(घ) तथा (6)(क) तथा (ग) तथा 70ब(1)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
की वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो तो आप नीचे भाग-1 में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग-11 में विस्तृत हिदायतों का अनुसरण करेंगे।

भाग- 1

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।
2. आपका केवल एक मत है।
3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।
5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।
7. निर्वाचक प्ररूप-13 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान ड्यूटी पर है तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन ड्यूटी पर है।

भाग- II

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

- (क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये "क" चिह्नित छोटे लिफाफे में रखे। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।
- (ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप-13 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त हिदायतें 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर सत्यापित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र तसदीक अधिकारी को ना तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।
- (ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नित करेगा। वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी पूरा करेगा।
- (घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप-13 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले "क" चिह्नित छोटे लिफाफे, "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।
- (ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.....** को.....बजे से पूर्व पहुंच जाए।
- (च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :-
- (i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा
- (ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास.....को.....बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

* निर्वाचन के समुचित ब्योरे अन्तः स्थापित करें।

** यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथि विनिर्दिष्ट करें।

भाग I – अभिलिखित मतों का लेखा

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम की वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम.....

मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या

नियंत्रण यूनिट.....

मतदान यूनिट.....

1. मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या।
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 11) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या।
3. "उपरोक्त में से कोई नहीं " के लिये मतदाताओं की कुल संख्या।
4. नियम 70छ या 70ज के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या।
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या पद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत मतपत्र नियम 56 के अधीन जारी किए गए थे।
8. निविदत मतपत्रों की संख्या।

क्रम संख्या

.....से.....तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए.....

9. कागज की सीलों का लेखा

क्रम संख्या

.....से तक

मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर

1. दी गई कागज की सीलों

1.....

की क्रम संख्या से तक

2.....

2. दी गई सीलों की कुल संख्या 3.....
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 4.
4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या (मद 3 में से 2 घटाइए) 5.
6.
7.
5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई है।

तिथि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान.....

मतदान केन्द्र संख्या.....

भाग II—मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
.....		
कुल		

क्या उपरोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भाग I की मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से मेल करती है या दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।

स्थान.....

तिथि

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ताओं के नाम

पूरे हस्ताक्षर

1

2

3

4

5

6

7

8

.....

.....

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर”।

आनन्द एम. शरन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।